40

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0 एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1366-दो/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 16–5-2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 250/अपील/95-96

1- श्री मती शांतिबाई पत्नि स्व. हनुमान प्रसाद
2- शिवशंकर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद
3- सुश्री शीला पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद
4- राजकुमार पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद
5- भरतलाल पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद
सभी ग्राम कुटाई तहसील मेहर जिला सतना
6- श्री मती वेवी पत्नि वीरेन्द्रकुमार पांडे पुत्री स्व. हनुमान प्रसाद
ग्राम सरसवाही तहसील जयसिंह नगर जिला शहडौल — आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामलखन पुत्र रामरूद्र (मृतक) वारिस कुशमणि त्रिपाठी
2- शत्रुघन पुत्रगण रामरूद्र उरमलिया
निवासी ग्राम मगराज तहसील अमरपाटन जिला सतना
3- श्रीमती चन्द्रवति पत्नि स्व. गंगाप्रसाद उरमलिया
4- राममणि 5- सूर्यमणि 6- बलराम 7- मनोज 8-
अनिल सभी पुत्रगण गंगा प्रसाद निवासी ग्राम
कुटाई तहसील मेहर जिला सतना — -अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा)

आ दे श

(**आज दिनांक** 22/5/18 को पारित)

अपर आयुकत, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 250/अपील/95-96 में पारित आदेश दिनांक 16-05-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सांराश यह है कि रामलखन एवं शत्रुहनप्रसाद पुत्रगण रामरूद्र उरमलिय ने तहसीलदार मेहर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सामिलाती भूमि के बटवारे की मांग की। तहसीलदार वृत्त नादन तहसील मेहर ने प्र0 क्र0 20 अ/27/93-94 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 30-07-1994 में अंकित अनुसार भूमि का बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मेहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने प्रकरण क्रमांक 145/ अ-27/93-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 27/11/1995 से अपील स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 250/अपील/95-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-05-2006 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मेहर का आदेश दिनांक 27/11/1995 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-07-1994 में , अनुविभागीय अधिकारी मेहर के आदेश दिनांक 27/11/1995 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 16-05-2006 में आये तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 30-07-1994 को इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रकरण में आवेदकगण ने खाते से अपीलांट का नाम प्रथक करने का आवेदन पत्र दिय है जो बटवारे का नामांतरण के अंतर्गत निर्णीत नहीं किया जा सकता। विचार योग्य है कि यदि संयुक्त परिवार के खाते की भूमि यदि एक पक्षकार के नाम कई सर्वे नबरों में अंकित है , बटवारा करने पर अन्य पक्षकार के हिस्से में यदि जाती है, निश्चित है कि ऐसे नामांकित पक्षकार का नाम उस सर्वे नंबर से कम होकर अन्य के नाम किया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस संबंध में निकाले गये निष्कर्ष को अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने इन्हीं कारणों से स्वीकार नहीं किया है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी मेहर ने आदेश दिनांक 27/11/1995 में निर्णीत किया है कि संहिता की धारा 117 के अनुसार भू अभिलेख प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जायेगी कि वे सही हैं जब तक कि प्रतिकूल सावित न कर दिया जाये। मौखिक साक्ष्य गलत सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 16-05-2006 के पद 5 में विवेचित किया है कि विवादित आराजी के भूमिस्वामी रामरूद्र प्रसाद थे। विचारण न्यायालय में रिस्पाण्डेन्ट हनुमान प्रसाद ने स्वत्व का प्रश्न

दिनांक 2-2-94 को उठाया था तो उसे स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराना था जो उसके द्वारा नहीं कराया गया। जब बटवारे में विचारित भूमि के पूर्व भूमि स्वामी रामरूद्र प्रसार अर्थात पक्षकारों के पूर्वज रहे हैं तहसीलदार वृत्त नादन द्वारा प्रकरण क्रमांक 20 अ/27/93-94 में पारित आदेश दिनांक 30-07-1994 से रामरूद्र प्रसाद के उत्तराधिकारीयों के बीच किये गये बटवारे में अनुविभागीय अधिकारी मेहर द्वारा किया गया हस्तक्षेप उचित नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 250/अपील/95-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-05-2006 से अनुविभागीय अधिकारी मेहर के आदेश दिनांक 27/11/1995 को निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है। जहां तक आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा वाद विचारित भूमि में स्वत्व उत्पन्न होने बावत् उठाये गये बिन्दु पर विचार का प्रश्न है - स्वत्व के मामले के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम न होने से आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा की गई मांग पर विचार संभव नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरनी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 250/अपील/95-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-05-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0 प्र0
ग्वालियर